<u>न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)</u>

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 59/2024 प्रार्थना–पत्र

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2024/98

उनवान

1. श्री नन्दलाल पुत्र स्व. श्री लालचन्द जी जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री मांगीलाल पुत्र स्व. श्री लालचन्द जी जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.) ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लालचन्द जी (देवडा) जैन उम्र बालिग निवासी उथरदा, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर हाल रामसिंह जी की बाडी, सेक्टर नम्बर 11, मकान नम्बर 03, नूतन गैस गोदाम के सामने उदयपुर (राज.)।

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–::निर्णय::–

दिनांक : 11/02/2026

सहायक कलेक्टर सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

उपस्थितिः श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता – प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।
विपक्षी संख्या 2– अनुपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 02 की कृषि भूमि मौजा ग्राम उथरदा, पटवार मण्डल उथरदा, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.) कि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 47 पुराना 305 आराजी नम्बर 776/0.06, 777/0.04, 789/0.09, 790/0.07, 791/0.06 कुल किता 5 रकबा 0.32 हैक्टेयर स्थित है। उक्त प्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि की पुरानी जमाबन्दी संवत् 2038–2042 आराजी नम्बर 489 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 497 रकबा 1 बिघा कुल किता 2 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा में खातेदार के रूप में लालचन्द पुत्र माणकचन्द का नाम विधिवत दर्ज था। सेटलमेंट के दौरान बिना किसी आदेश के त्रुटिवश उक्त नाम के स्थान पर वालचन्द पुत्र माणकचन्द अंकित कर दिया गया, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

प्रार्थीगण को उक्त त्रुटि की जानकारी दिनांक 31–07–2024 को जमाबन्दी नकल प्राप्त करने पर हुई। पुराने अभिलेखों से स्पष्ट है कि यह केवल मानवीय भूल है। खातेदार स्व. लालचन्द पुत्र माणकचन्द का देहान्त हो चुका है तथा उनके वैधानिक उत्तराधिकारी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 02 हैं।

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के रूप में गलत अंकित वालचन्द पुत्र माणकचन्द के स्थान पर लालचन्द पुत्र माणकचन्द का नाम

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

दुरुस्त किया जावे एवं उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थीगण तथा विपक्षी संख्या 02 के नाम दर्ज किए जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश नही कर मौखिक कथन करते हुए आदेशिका पर अंकित किया कि नाम शुद्धि साबिक रेकॉर्ड अनुसार सही है। विपक्षी संख्या 2 की विधिवत तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय मे अनुपस्थित रहे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के रूप में गलत अंकित वालचन्द पुत्र माणकचन्द के स्थान पर लालचन्द पुत्र माणकचन्द का नाम दुरुस्त किया जावे एवं उनके देहान्त उपरान्त प्रार्थीगण तथा विपक्षी संख्या 02 के नाम दर्ज किए जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सलूम्बर ने बह समे साबिक रिकॉर्ड अनुसार नाम शुद्धि किये जाने का कथन किया।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2038–2042 आराजी नम्बर 489 रकबा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 497 रकबा 1 बिघा कुल किता 2 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा में खातेदार के रूप में लालचन्द पुत्र माणकचन्द का नाम दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजी के हाल आराजी नम्बर आराजी नम्बर 776 / 0.06, 777 / 0.04, 789 / 0.09, 790 / 0.07, 791 / 0.06 बनना जाहिर होता है। साबिक खाते अनुसार हाल खाते मे खातेदार का नाम वालचन्द पुत्र माणकचन्द नाम त्रुटिवश दर्ज होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा तहसील सलुम्बर जिला–सलूम्बर की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में खाता नया संख्या–47 पुराना 305 आराजी नम्बर 776 / 0.06, 777 / 0.04, 789 / 0.09, 790 / 0.07, 791 / 0.06 कुल किता 5 रकबा 0.32 हैक्टेयर में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि वालचन्द पुत्र माणकचन्द के बजाय लालचन्द पुत्र माणकचन्द का नाम दुरुस्त किया जावे।

स्व. लालचन्द पुत्र माणकचन्द की मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके विधिक वारिस का नामांकन नियमानुसार कर रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। पालनार्थ निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2026 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर